

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या...././.....

वर्ष 20.24...

विविधवाद/ प्रथम अपील

वाद प्रारंभ की तिथि
दि. 20.04.2024.

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती साविता देवी एवं अन्य
ग्राम-रौंदा, पंचायत-बिजका
थाना-बण्डारेया, जिला-गढ़वा
प्रतिवादी जिला आयुक्ति पदाधिकारी,
गढ़वा

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं०-11 / 2024

अपीलकर्ता श्रीमती सबिता देवी एवं अन्य का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। अपीलकर्तागण द्वारा पूर्व में व्हाट्सएप्प के माध्यम से दिनांक-18.03.2024 को समर्पित शिकायत सं०-WA/376/2024 के मामले में सूचित किया गया है कि इस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता श्रीमती सबिता देवी, ग्राम-रोदो, पंचायत-बिजका, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा द्वारा दिनांक-18.03.2024 को व्हाट्सएप्प के माध्यम से समर्पित परिवाद-पत्र में ग्राम-रोदो के 48 सदस्यों को 04 माह से राशन नहीं दिये जाने एवं आवेदन देने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप से सम्बन्धित परिवाद-पत्र आयोग के समक्ष समर्पित किया गया था, जिसे आयोग के पत्रांक-WA/376/2024 दिनांक-19.03.2024 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा एवं इसकी प्रति DSO, गढ़वा को प्रेषित की गई थी। उक्त मामले में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त रहा।

अतः प्राप्त अपील आवेदन के आलोक में प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाए। सुनवाई की तिथि दिनांक-11.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ता को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें।


दिनांक-11.06.2024 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।



(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।